

स्पीड पोस्ट
पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश, आठवां तल, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ ।

उ० प्र० पा० ले० इ० ट्रस्ट

शक्ति भवन, लखनऊ ।

डा० सं०...../ट्रस्ट विनांक.....

आवश्यक /

1. उपसचिव/अतिरिक्त सचिव

2. सहायक सचिव

3. स० लेखाधिकारी

4. कार्य अधिकारी श्री

5. लेखाग्र श्री

6. लेखाग्र श्री

दूरभाष : ०५२२-२२८७०४४

०५२२-२२८७०८०

०५२२-२२८६६२३

ई-मेल: pendir@up.nic.in

पे.नि./ऊर्जा विभाग/अनु-३ (विविध)/२०१८/९५५७ दिनांक:- १२/०६/२०१८

समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,

कोषागार एवं पेंशन,

उत्तर प्रदेश ।

स० ले० ०३१० ले० अ०

विषय:- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उसकी वितरण कंपनियों तथा केस्को के सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण / पुनरीक्षण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उ.प्र. शासन को संबोधित तथा अन्य सहित आपको पृष्ठांकित इस निदेशालय के पत्र संख्या:- पे.नि./ऊर्जा विभाग/अनु-३ (विविध)/२०१८/२८७८ दिनांक-२८.०२.२०१८ एवं पत्र संख्या:- पे.नि./ऊर्जा विभाग/अनु-३ (विविध)/२०१८/४५१३ दिनांक-०५.०४.२०१८ (छायाप्रतियां संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

संदर्भित पत्रों द्वारा क्रमशः ऊर्जा अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या:- ०७/२०१७/१७५८/२-पी-२-१७-सा (१४४)/१७ दिनांक-२७ दिसंबर, २०१७ के आलोक में उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उसकी वितरण कंपनियों तथा केस्को के दिनांक-०१.०१.२०१८ को अथवा उसके उपरांत सेवानिवृत्त / मृत होने वाले कार्मिकों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण एवं दिनांक-०१.०१.२०१६ के पूर्व सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर शासन से शासनादेश निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया था । ऊर्जा अनुभाग-२ के शासनादेश संख्या:- ५/२०१८/७३५/२४-पी-२-१८ दिनांक-१४.०६.२०१८ द्वारा उक्त बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कार्यवाही करने की अपेक्षा की गयी है ।

अतः उक्त शासनादेश दिनांक-१४.०६.२०१८ तथा निदेशक (का.प्र. एवं प्रशा.), उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के पत्र संख्या:- ६४०/पे. एवं आर.-२८/भाकालि/२०१७-६०-पी/९८ (टी.सी.-१) दिनांक-२८.०५.२०१८ द्वारा उपलब्ध कराये गये, कारपोरेशन लिमिटेड एवं उसकी वितरण कंपनियों के दिनांक-०१.०१.२००६ व

(2)

दिनांक-०१.०१.२०१६ से वेतन / वेतनमान विषयक आदेशों की छायाप्रतियां संलग्न करते हुए अनुरोध है कि शासनादेश की व्यवस्था के क्रम में प्राप्त पेंशन प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण त्वरित गति से करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

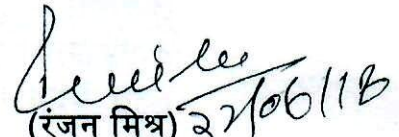
भवदीय,

(रंजन मिश्र)
निदेशक।

पत्रांक व दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (१) विशेष सचिव ऊर्जा अनुभाग-२, उ.प्र.शासन।
- (२) विशेष सचिव, वित्त (सामान्य) अनुभाग-३, उ.प्र.शासन, लखनऊ।
- (३) अध्यक्ष, उ.प्र.पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (४) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उ.प्र.राज्य विद्युत उत्पादन एवं पारेषण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (५) सचिव, उ.प्र.स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन, लखनऊ।
- (६) निदेशक, कोषागार उत्तर प्रदेश, लखनऊ।


(रंजन मिश्र) 27/06/16
निदेशक।